न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   / 2015 रेस्टो.   रेस्टो 3269/III/15

1. रमेश पुत्र कृष्ण बाथम
2. मु. नब्बो पत्नी रमेश
3. मुकेश पुत्र रमेश
   निवासी ग्राम गोपालपुर तहसील शिवपुरी म.प्र

––– आवेदकगण

श्री एस. पी. चौहान अधि. द्वारा आज दि. 06/10/15 को प्रस्तुत

पेशकार/बुक कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

1. दामोदर दास पुत्र वल्लभ दास राठी निवासी ग्राम गोपालपुर तहसील शिवपुरी हॉल निवासी भोपाल म.प्र
2. म.प्र. शासन

––– अनावेदकगण

<u>संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्।</u>

(6.10.15)

मांन्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त प्र.क. 3199–III / 2014 में पेशी दिनांक 07.05.2015 नियत थी। आवेदक के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान् के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्वालियर से बाहर अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजबादी गई है। फिर भी मान. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस कारण उक्त आवदेन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाना न्ययोचित होगा।

3. यह कि, आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पेरवी में संहिता की धारा 35(2) के अधीन निरस्त कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना उचित है।

4. यह कि, आलौच्य आदेश दिनांक 07.05.2015 की जानकारी सर्वप्रथम न्यायालय में अदम पैरवी में निरस्त करने की लिष्ट चस्पा करने पर ज्ञात हुआ। इस कारण आवेदन पत्र सदभाविक होने से ग्राहय योग्य हैं।

XXXIX(a)-BR(H)-11 रमेश / दामोदरदास

(113)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.I.सं.-3269-तीन/15 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-16	आवेदक अधि. श्री एल.पी. धाकड़ उपस्थित। रेस्टोरेशन आवेदन पर तर्क श्रवण किये गये। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण R-3208-तीन/14 पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	
Rar		

[कृ. प. उ.